न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम चौधरी (आर0ए0एस)

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक 20.4.2024
03 / 2023	19.01.2023	

1. केसाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी फतेसागर दासानिया तहसील शेरगढ

प्रार्थी

बनाम

1 जमना पत्नी सोनाराम जाति जाट निवासी फतेसागर दासानिया तहसील शेरगढ

2 राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैक शाखा सोमेसर जरिये शाखा प्रबन्धक सोमेसर

3 उप पंजियक शेरगढ

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

अप्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा

प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री विजयनाथ उपस्थित।

अप्रार्थीगण सख्या 1 से 2 अनुपस्थित इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई

अप्राथी सख्या 3 ,4 तहसीलदार शेरगढ उपस्थित ।

निर्णय

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते बटवाडा स्थाइ निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जिसके अवलोकन मात्र से ही प्रार्थीगण पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है जिस वाद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद व आशा है। कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पुश्तैनी सहखातेदारी भूमि ग्राम संतोषनगर पटवार हल्का पाबुसर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 795/2 रकबा 15.3699 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम फतेसागर पटवार हल्का दासानिया भू.'अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 478/1 रकबा 5.7061 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 754/1 रकबा 2.6385 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल रकबा 8.3446 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने—अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा साथ में सलग्न है। उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम संतोषनगर पटवार हल्का पाबुसर भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 795/2 रकबा 15.3699 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम फतेसागर पटवार हल्का दासानिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 478/1 रकबा 5.7061 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 754/1 रकबा 2.6385 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कुल रकबा 8.3446 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है उक्त खसरान की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की अविभाजित भूमि रहीं है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य आज तक विधिक रूप से लिखित अथवा मौखिक रूप से बंटवाड़ा नहीं हो रखा है सभी खातेदार उक्त खसरो में स्थित भूमि के अपने—अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त खसरान की भूमि सामलाती होने से सभी का हक हिस्सा निहित है क्योकि उक्त खसरान की भूमि का खातेदारो में किसी प्रकार का बंटवाड़ा नहीं हुआ है संयुक्त खातेदारी की अविभाजित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के किसी विशेष–भू भाग को बिना सहखातेदारो की लिखित सहमति के हिस्से अधिक भूमि पर कब्जा करने, निर्माण करने, तथा बेचान हस्तानान्तरण करने का कोई हक अधिकार नहीं है कानून जब तक बंटवाड़ा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक संयुक्त खातेदार का कब्जा काश्त होता है। प्रत्येक इंच की भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होता है अप्रार्थी को प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि पर दखलअन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित ग्राम संतोषनगर पटवार हल्का पाबुसर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 795/2 रकबा 15.3699 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम फतेसागर पटवार हल्का दासानिया भू.'अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 478/1 रकबा 5.7061 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 754/1 रकबा 2.6385 हैक्टेयर [illegible] चतुर्थ कुल रकबा 8.3446 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित भूमि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जा काश्त हक हकुक की अविभाजित भूमि है जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कभी भी विधिक रूप से मौखिक अथवा लिखित में बंटवाड़ा नहीं हुआ है । जबकि प्रार्थी उक्त खसरों की भूमि में अपने हिस्से में आने वाली भूमि का विधिक रूप से अलग करवाकर खसरो में रेतीले एवं उबड़ खाबड़ भूमि का विधिक रूप से बाई–मिट्स एण्ड बाउण्डस के बटवाड़ा करवाकर अपने हिस्से की भूमि को अलग करवाकर उसका विकास इत्यादी करवाना चाहते है इस हेतू प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को काफी लम्बे समय से कई मर्तबा विधिक रूप से बंटवाड़ा कराने हेतू कहा जाता रहा है अप्रार्थी बहाने बाजी कर टामलटोल करते आ रहा है हाल ही में दिनांक **14.01.2023** को प्रार्थी ने अप्रार्थी को अंतिम बार बंटवाड़ा करने हेतू कहा तब अप्रार्थी संख्या 1 आया तथा प्रार्थी को काश्त करने से मना किया तथा लड़ाई झगड़ा करने लगे तब प्रार्थी द्वारा उन्हें समझाईश की गई उसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बेचान एवं हस्तानान्तरण करने की धमकी दी गई। अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: Self Attested

बंटवाड़ा कराने से साफ इन्कार कर दिया गया ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद बाबत बंटवाड़ा भूमि का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प एवं सहारा नहीं रहा है ऐसी स्थिति में यह वाद बाबत बंटवाड़ा भूमि का बाई–मिट्स एण्ड बाउण्डस के कराये जाने हेतू यह वाद बाबत बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है वादग्रस्त भूमि समालाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि को आज तक मौखिक अथवा लिखित में किसी प्रकार का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है उसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बिना बंटवाड़ा कराये विशेष भू–भाग पड़ौस अंकित करते हुए भूमि का बेचान करने की धमकिया दी तथा हिस्से से अधिक की भूमि का हड़प करना चाहते है अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से में दखलअन्दाजी करते आ रहे है मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने लगते है तथा तारबंदी करने पर अमादा है तथा पक्का निर्माण करने को उतारू है। जिसका की अप्रार्थी को सामलाती अविभाजित भूमि तथा प्रार्थी के हिस्से की काश्त में दखलअन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है अप्रार्थी को बिना बंटवाड़ा कराये उपजाऊ भूमि पर हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का कोई हक अधिकार नहीं है सभी खातेदारो का बराबर हक अधिकार निहित है अप्रार्थी को बिना बंटवाड़ा कराये बेचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार नहीं है प्रार्थी के हिस्से में अप्रार्थी द्वारा दखलअन्दाजी करने के कारण इन्हें रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है वादग्रस्त भूमि समालाती संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है उक्त भूमि का आज तक मौखिक अथवा लिखित में किसी प्रकार का बंटवाड़ा नहीं हो रखा है उसके बावजूद भी अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से से अधिक की भूमि का हड़प करना चाहते है अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से में दखलअन्दाजी करते आ रहे है मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने लगते है प्रार्थी को काश्त करने का मना किया तथा बेदखल करने की धमकिया दी । तथा मौके पर हिस्से से अधिक उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने की नियत से मौके पर निर्माण सामग्री डाल दी तथा तारबंदी करने पर अमादा है तथा पक्का निर्माण करने को उतारू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: SelfAttested

जिसका की अप्रार्थी संख्या 1 को सामलाती अविभाजित भूमि तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 को बिना बंटवाड़ा कराये उपजाऊ भूमि पर हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने का कोई हक अधिकार नहीं है सभी खातेदारो का बराबर हक अधिकार निहित है अप्रार्थी संख्या 1 को बिना बंटवाड़ा कराये बेचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार नहीं है जिसकी आड़ में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से में दखलअन्दाजी की जा रहा है जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत भूमि का अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत है। उपरोक्त खसरान की भूमि प्रार्थी की पुस्तैनी संयुक्त खातेदारी की है। जिस खसरान की भूमि के अपने हिस्सा भू भाग पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि का विधिक रूप से पक्षकारों व प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच से अन्य सहखातेदारों के बीच कभी बंटवाड़ा नही हो रखा है। इस[illegible]ड़ा अप्रार्थी को भूमि के दान बेचान व हस्तानान्तरण करने अथवा प्रार्थी को उनके हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल अथवा उसके उपयोग व उपभोग मे दखलन्दाजी इत्यादी करने का कोई हंक अधिकार नही है। प्रार्थी उक्त अविभाजित भूमि का विधिक रूप से बंटवाड़ा करवाकर अपना हिस्सा पृथक कराने का कानूनन हक अधिकारी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी को ताफैसला मूल वाद वाछित अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नही किया गया तो अप्रार्थी अपने गैर कानूनी व नापाक इरादो को अन्जाम देकर अविभाजित भूमि का बेचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर सकते है। अथवा प्रार्थी को उनकी हिस्सा भूमि से बेदखल कर कब्जा कर सकते है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी किमत पर नही की जा सकेगी। यदि अप्रार्थी को चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जाता है तो उससे अप्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति या असुविधा नही होगी। इस लिये सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रत्येक दृष्टि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के हक व अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर अप्रार्थी को पाबंद किया जाना उचित व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय अथवा अपने रिस्तेदार सहयोगी, ऐजेन्ट मुखित्यार अधिकृत व्यक्तियों इत्यादी के मार्फत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित ग्राम संतोषनगर पटवार हल्का पाबुसर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 795/2 रकबा 15.3699 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है इसी प्रकार ग्राम फतेसागर पटवार हल्का दासानिया भू.'अ.निरीक्षक क्षेत्र दासानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 478/1 रकबा [illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 754/1 रकबा 2.6385 है किस्म बारानी चतुर्थ कुल रकबा 8.3446 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है उक्त खसरान की भूमि की खातेदारी मे प्रार्थी के हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे न ही उनकी हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि मे से जबरन बेदखल करे न ही उपयोग व उपभोग मे बाधा रूकावट ही पैदा करें। न ही कच्चा या पक्का निर्माण इत्यादी करे। साथ ही बिना बटवाड़ा उक्त भूमि का आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण करने से भी अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद फरमाया जावें। यानि मौके व रेकर्ड स्थिति यथावत उचित आदेश जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यो व परिस्थियों मे प्रार्थी के पक्ष में उचित समझे पारित फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गई । अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति, उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

केसाराम पुत्र ताजाराम उक्त विवादीत भूमि में बटवाडा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद जरिये अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है जो जरिये साक्ष्य अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा सकेगा। पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण वर्तमान राजस्व [illegible] यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही होगी। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में आशिक रूप से तय किया जाता है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात को मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे एवं बेचान , निर्माण कार्य नही करेगे।

आदेश आज दिनांक 29.4.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
R.A.S
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:25 IST
Reason: SelfAttested